



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252982
CG-DL-E-14032024-252982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

फा. सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (छ), खंड (ण) और खंड (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण विनियम, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

7. **Updating emergency action plan.** -The emergency action plan mentioned in column (2) of the table below, of specified dams referred to in section 36 of the Act shall be updated at the intervals mentioned in the corresponding column (3) of the said table, namely: -

Table

Sl. No.	Contents of Emergency Action Plan	Periodicity of Updation
(1)	(2)	(3)
1.	Correcting contact addresses mentioned in the emergency action plan	At least once a year
2.	Conducting table top drill (mock drill) to test the efficacy of emergency action plan	At least once in five years
3.	Comprehensive review of emergency action plan	Every ten years